# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

अपुनिगणि / जयपुर ।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 154/2020 | | |
| 05/3/21 | आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 1 लगा. 8 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण/अपीलार्थी एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल ख.न. 55/0.9092, 56/0.9310, 57/1.1092, 58/0.7490, 141/1-0.12, 146/0.4786, 147/0.4586, 59/0.6628, 60/0.9450, 124/0.7150, 141/0.43, 142/0.65 वाके मौजा प्रागपुरा तहसील कोटपुतली जिला जयपुर केखातेदार काश्तकार प्रार्थीगण मुताबिक़ जमाबन्दी है। प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान की उपरोक्त भूमि में आने जाने हेतु मौके पर पूर्व में कोई रास्ता मौजूद नही है एवं सभी खातेदारान द्वारा अपनी-अपनी खेती की भूमि में से रास्ते हेतु भूमि ख.न. 55/2080, 56/2081, 57/2082, 58/2083, 59/2078, 60/2079, 116/2075, 122/2076, 124/2087, 125/2077, 146/2085, 147/2086, 148/2084 वाके मौजा प्रागपुरा तहसील कोटपुतली में सम्पूर्ण होकर मौके पर गै. मु. रास्ता चालू है। प्रार्थीगण की आराजी में आने-जाने के रास्ते के मध्य में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 की कृषि भूमि ख.न. 123, 115, 81 वाके ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपुतली है, जिसमे 15 फुट चौड़े रास्ते के बिना प्रार्थीगण के खेतो में आना जाना सम्भव नही है। उक्त रास्ता दिये जाने हेतु अप्रार्थीगण को अनेको बार कहा किन्तु वे ईन्कार हो गये। उक्त रास्ता दिये जाने की सूरत में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को उचित राशि दिये जाने के लिये तैयार है लेकिन अप्रार्थीगण ने रास्ता दिये जाने से साफ ईन्कार कर दिया। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में आने-जाने हेतु अन्य कोई सुगम रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थना पत्र के अन्त में ईस्तदुआ की गई की प्रार्थीगण की आराजी में आने-जाने के रास्ते के मध्य में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 123, 115, 81 वाके मौजा प्रागपुरा में से 15 फुट चौड़ा रास्ता जिसे प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, दिलवाया जाने का आदेश प्रदान करे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा | |

राजस्व अपील प्राधिकारी (राजस्थान) [stamp]

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

अर्जुनदास / जगदीश

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 154/2020 | |

251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की तामिल हेतु नोटिसेज जारी किये गये एवं तहसीलदार पावटा से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपस्थित पक्षकारान की बहस समायत की जाकर अपने आदेश दिनांक 21/05/2020 के जरिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.न. 123, 115, 81 में से 15 फुट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये।जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी।

अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के प्रारंभ में हमारा ध्यान अपील के साथ प्रस्तुत कुछ नक़लों की और आकर्षित कराया जो प्रार्थना पत्र 70/2015 नन्दराम बनाम ग्यारसीदास से सन्दर्भित है एवं बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्व में भी पेश किया था जो उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली से उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा स्थानान्तरित हुआ, जिस प्रार्थीगण/रेस्पो. द्वारा निस्तारण से पूर्व ही वापिस ले लिया गया, इसका संज्ञान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही लिया जाकर नये प्रार्थना पत्र पर नये सिरे आदेश पारित कर दिया गया। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नही किया कि सन्दर्भित ख.न. 123 जो अपीलार्थीगण के खाते की आराजीयात है, जिसमे से रास्ता चाहा गया है उस पर अपीलार्थीगण के मौके पर मकानात बने हुये है ऐसमें उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता कायम किया जाना सम्भव ही नही था। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो वास्तविक तथ्यों का विवेचन किये बगैर आदेश जैर अपील पारित किया है निरस्त फरमाया जावे एवं अपील स्वीकार फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

अपुनदास / जगदीश

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

15/4/2020

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवार मण्डल प्रागपुरा दिनांक 18/01/2020 की और ध्यान आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया गया है कि प्रार्थी के खेता या ढाणीयो में पहुचने हेतु अन्य कोई सुगम रास्ता नही लगता है, प्रार्थीयो द्वारा आवेदन पत्र में मांग किये गये खसरा नम्बरो में से रास्ता दिया जाना ही विकल्प मौके अनुसार है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/रिस्पो. के खाते की आराजीयात में आने जाने हेतु पूर्व में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही था एवं नया जो रास्ता कायम किये जाने का जो रास्ता दिया गया है वही एकमात्र प्रार्थीगण के हक़ में रास्ते का विकल्प था, जिसे दिये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई क़ानूनी त्रुटी नही की गयी है। प्रार्थी/रिस्पो. अपीलार्थीगण की आराजीयात जो रास्ते में अवाप्त की जानी है के हेतु राशि का भुगतान किये जाने के लिये तत्पर है। अत: अपील अपीलार्थी सारहीन होने से ख़ारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलार्थी ने मुख्य आपत्ति पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 70/2015 जो उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा को स्थानान्तरित होने के पश्चात जिसका नम्बर 09/2019 उनवानी नन्दराम बनाम ग्यारसीदास था के सन्दर्भ में दर्ज कराई है, अत: अपील के साथ प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र की आदेशिकाओ की नकलों का अवलोकन किया गया। उसकी आदेशिका दिनांक 30/09/2019 में उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा स्पष्ट अंकन किया गया है कि "हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अप्रार्थीगण की और से कोई विपरित प्रभाव पड़ना प्रतीत नही होता है, अत: प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र बाबत नये वाद पत्र पेश करने की अनुमति के साथ विड्रा करने की स्वीकृत दी जाती है।" जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/रिस्पो. को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को वापिस लिये जाने एवं नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसके अनुसरण में प्रार्थी/रिस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

अर्जुनदास / जगदीश

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 15/9/2020 | |

द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमे आदेश जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है | अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि मौके पर पूर्व में ही रास्ता उपलब्ध है, जिससे नया रास्ता कायम किये जाने का आदेश अपीलार्थी को नुकसान पहुचाने की गरज से किया गया है | इस सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं ना ही इस न्यायालय के समक्ष कोई अधिकृत नक्शा या साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी है जिससे यह सिद्द होता हो कि पूर्व में कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध था या है | इस तथ्य की ताईड अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 18/01/2020 से भी होती है , जिसमे स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थीयो के खेता या ढाणीयो में पहुचने हेतु अन्य कोई सुगम रास्ता नही लगता है, प्रस्तावित व प्रार्थीयो द्वारा आवेदन पत्र में मांग किये गये खसरा नम्बरो में से रास्ता दिया जाना ही विकल्प मौके अनुसार है, अन्य सुगम विकल्प नही है | जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रार्थी/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये रास्ता कायम किये जाने का आदेश जैर अपील दिनांक 21/05/2020 पारित किया गया है, में किसी प्रकार की त्रुटी नही है |

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/05/2020 यथावत रखते हुये अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

आदेश आज दिनांक 05/3/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर